



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032021-225598
CG-DL-E-03032021-225598

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 916]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942

No. 916]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

का.आ. 990(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 255(अ) तारीख 19 जनवरी 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में रा.रा. संख्या 111 (नया रा.रा. 130) के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 53.300 तक के भूखंड (बिलासपुर-कटघोरा सेक्शन) का बिलासपुर एवं रतनपुर बाईपास सहित निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "29.01.2021 " को "हरिभूमि " और "टाइम्स ऑफ़ इण्डिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में रा.रा. संख्या 111 (नया रा.रा. 130) के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 53.300 तक (रेलवे अंडरपास) के भूखंड (बिलासपुर-कटघोरा सेक्शन) का बिलासपुर एवं रतनपुर बाईपास सहित के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़ जिले का नाम: बिलासपुर					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: तखतपुर				
	गांव का नाम: लोखंडी				
1	103	सरकारी	पडत	0.0648	दक्षिण पूर्वी रेलवे लाईन (१०३)
2	104/1	निजी	पडत	0.0372	भागवत प्रसाद पिता चैतराम (१०४/१)
3	105/2	निजी	कृषि	0.025	शंकरलाल पिता जुगरू (१०५/२)
4	105/4	निजी	कृषि	0.015	पुसराम पिता सुकुल (१०५/४)
5	105/5	निजी	कृषि	0.0486	पुसराम पिता सुकुल (१०५/५)
6	105/7	निजी	कृषि	0.012	पुसराम पिता सुकुल (१०५/७)
7	105/9	सरकारी	पडत	0.05	छ.ग.शासन (नहर) (१०५/९)
8	106/2	निजी	कृषि	0.012	बी.एन.मिश्रा/के.पी.मिश्रा (१०६/२)
9	106/3	निजी	कृषि	0.0216	ननकीबाई पिता मंगल (१०६/३)

10	106/4	निजी	कृषि	0.04	बी.एन.मिश्रा/के.पी.मिश्रा (१०६/४)
11	57/1	निजी	पडत	0.012	दीनदयाल पिता विशेषर (५७/१)
12	57/2	सरकारी	पडत	0.0096	छ.ग.शासन (सड़क) (५७/२)
			कुल	0.3478	

[फा. सं. NHAI/LA/14012/01/Notif.C.G./Bilaspur/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

S.O. 990(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 255(E), dated 19 January 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 111 (New NH-130) on the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 53.300 (Bilaspur-Katghora Section) including Bilaspur and Ratanpur Bypass in the District of Bilaspur in the State of Chhattisgarh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Haribhumi**” and “**Times of India**” dated **29.01.2021**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 111 (New NH-130) in the stretch of land from land from Km. 0.000 to Km. 53.300 (Railway Underpass) (Bilaspur-Katghora Section) including Bilaspur and Ratanpur Bypass in the District of Bilaspur in the State of Chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH District: BILASPUR					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Takhatpur				
	Village: Lokhandi				
1	103	Government	Padat	0.0648	South Eastern Railway line 103

2	104/1	Private	Padat	0.0372	Bhagwat Prasad S/o Chaitram 104/1
3	105/2	Private	Agriculture	0.025	Shankarlal S/o Jugru 105/2
4	105/4	Private	Agriculture	0.015	Pushram S/o Sukul 105/4
5	105/5	Private	Agriculture	0.0486	Pushram S/o Sukul 105/5
6	105/7	Private	Agriculture	0.012	Pushram S/o Sukul 105/7
7	105/9	Government	Padat	0.05	C.G.Government (Canal) 105/9
8	106/2	Private	Agriculture	0.012	B.N.Mishara/K.P.Mishara 106/2
9	106/3	Private	Agriculture	0.0216	Nankibai S/o Mangal 106/3
10	106/4	Private	Agriculture	0.04	B.N.Mishara/K.P.Mishara 106/4
11	57/1	Private	Padat	0.012	Dindayal S/o Visheshar 57/1
12	57/2	Government	Padat	0.0096	C.G.Government (Road) 57/2
			TOTAL	0.3478	

[F. No. NHAI/LA/14012/01/Notif.C.G./Bilaspur/3D]

RAJESH GUPTA, Director